IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि विकास की समस्याएँ एवं संभावनाएँ : भागलपुर जिला का एक भौगोलिक अध्ययन

1. खुशबू कुमारी 2. डॉ0 विजय कुमार

1. शोध छात्रा, एम0 ए0, विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

2. सहायक प्राध्यापक (सेवानिवृत) महादेव सिंह कॉलेज, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

शोध सार :

अध्ययन क्षेत्र भागलपुर जिले में भूमि ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसका दोहन विभिन्न सामाजिक–आर्थिक क्रियाओं में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। यहाँ सम्पूर्ण आर्थिक तंत्र के केन्द्र में भूमि आधारित कृषि है, जिससे किसान इस प्रकार आबद्ध है कि उससे हटकर उसका कल्याण सम्भव नहीं है। फलस्वरूप समुचित कृषि सुधार के द्वारा ही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं, जिससे क्षेत्र का विपन्न किसान अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार कर सकता है। इसलिए क्षेत्र में ऐसी भू वैन्यासिक संगठन और समन्वित विकास योजना की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति की सुविधा और आय में वृद्धि की सम्भावना हो। इसके लिए जहाँ एक ओर प्राकृतिक विपदाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था में नवीन तकनीकों एवं वैज्ञानिक प्राविधियों के प्रयोग से उत्पादन में अभिवृद्धि, कृषि का व्यापक व्यापारीकरण तथा उसमें विविधता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्यप्रद भोजन, कपड़ा और मकान एवं जीवन की अन्य सुविधायें प्रदान की जा सके। इससे जहाँ एक ओर भूमि के दुरूपयोग में कमी होगी, तो दूसरी ओर उसमें क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या के अधिभार को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अध्ययन क्षेत्र आत्मनिर्भर होकर कालान्तर में अन्य क्षेत्रों को अपने उत्पादनों का लाभ दे सकेगा। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय तथा तृतीयक स्रोत से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग एवं सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए क्षेत्र में भौतिक तथा सांस्कृतिक मानचित्रों व तालिकाओं का प्रयोग यथास्थान पर किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र कृषि विकास की समस्याएँ एवं संभावनाएँ : भागलपुर जिले का एक भौगोलिक अध्ययन से सम्बन्धित है, जो व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है।

मुख्यशब्द : कृषि विकास, नियोजन, फसल प्रतिरूप, ग्रामीण विकास, जनसंख्या ।

1.1 प्रस्तावना :

मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भ से ही कृषि लोगों की अजीविका का प्रमुख साधन रहा है। आज भी कृषि विश्व की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय तथा आय का सबसे बड़ा स्त्रोत माना जाता है। अधिकांश विकासशील देशों में प्रधान व्यवसाय होने के कारण कृषि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा आधार रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का स्त्रोत है। कृषि इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है। कृषि विकास के सोपान पर चढ़ कर ही विश्व के विकसित राष्ट्र आज आर्थिक विकास के शिखर पर पहुंच सके हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, कि इग्लैण्ड, जर्मनी, रूस तथा जापान आदि देशों के विकास में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा तीव्र, औद्योगिकरण के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यही कारण है, कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के विचारकों ने कृषि विकास पर पर्याप्त बल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं आर्थिक नियोजन के 60 वर्ष पश्चात् भी कृषि क्षेत्र का सर्वोपरि महत्व है। आज भी भारत में व्यवसाय और जीविका की दृष्टि से 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, यद्यपि आर्थिक विकास के ऊँचे लक्ष्यों की प्राप्ति के कारण आज भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान क्रमशः घटा है। औद्योगिक क्षेत्र का अंशदान बढ़ा है तथा सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास होने के कारण सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान सर्वाधिक हुआ है। इन सब विकासात्मक क्रियाओं के बावजूद वर्तमान कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड बना हुआ है। वर्तमान शोध का विषय कृषि विकास की समस्यायें एवं संभावनाएँ : भागलपुर जिले का एक भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है।

भागलपुर जिले की कृषि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति सतोषजनक नहीं है। भागलपुर जिले में आर्थिक नियोजन के क्रियान्वयन के 60 वर्ष पश्चात भी अनुमानतः 55 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसख्या निर्धनता की निम्न सीमा के नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। भागलपुर जिले में आज भी अधिकांश कृषक कृषि की प्राचीन पद्धति को अपनाकर कृषि कार्य सम्पन्न करते हैं। भागलपुर जिले में 65 प्रतिशत से अधिक कृषक सीमांत और लघु कृषकों की श्रेणी में आते है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। कृषि पद्धति में आधुनिक नवीन तकनीकी ज्ञान का प्रयोग बहुत सीमित रूप में करते है। कृषि भूमि में मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, उन्नत सिंचाई के नवीन साधनों, संश्लेषित एवं श्रेष्ठ स्तर के उन्नत बीजों का न्यून प्रयोग, रासायनिक खाद का न्यूनतम उपयोग, पौध संरक्षण एवं भू–क्षरण के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपायों के संबंध में कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग भी बहुत सीमित मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त कृषकों की अशिक्षा, अज्ञानता, नवीन कृषि तकनीक की न्यूनतम जानकारी तथा तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव के कारण भागलपुर जिले में कृषि विकास की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है।

इस प्रकार भागलपुर जिले में कृषि विकास की समस्याएं एवं संभावनाएं में परिर्वन से संबंधित सभी कारणों की वर्तमान स्थिति एवं भूमि का का विशद अध्ययन करना इस शोध कार्य का प्रमुख विषय है।

1.2 अध्ययन क्षेत्र :

बिहार राज्य के मध्य गंगा मैदान में अवस्थित अंगप्रदेश का भागलपुर जिला ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भौगोलिक भूभाग है जो प्राचीन सभ्यता–संस्कृति का केन्द्र रहा है। लगभग 254300 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर 2569 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर विस्तृत इस जिले के अन्तर्गत 3 अनुमण्डल, 16 अंचल, 237 ग्राम पंचायत, 07 नगरीय केन्द्र तथा 1536 ग्रामीण अधिवास सम्मिलित हैं। 25° 5′ से 25° 30′ उत्तरी अक्षांश तथा 86° 30′ से 87° 30′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य अवस्थित इस जिले की सीमा पूरब में झारखण्ड के साहिबगंज जिला पश्चिमी में मुंगेर तथा खगड़िया, उत्तर में मधेपुरा तथा सहरसा एवं दक्षिण में बाँका जिले से जुड़ी हुई है। इस जिले की कुल जनसंख्या 30,37,766 (2011) है जनघनत्व 1182 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। इसके अन्तर्गत 237 ग्राम पंचायत तथा 1536 गाँव हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंचल पीरपैंती तथा सबसे छोटा जगदीशपुर है। इस जिले की मुख्य भाषा अंगिका है। लिंगानुपात 879 (2011) है जो लिंगानुपात की दृष्टि से विषमता का सूचक है। कुल साक्षरता का प्रतिशत 65% है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 62% है। पुरूषों का साक्षरता 70% तथा महिलाओं का 56% है। विगत तीन दशकों में जनसंख्या में काफी वृद्धि देखी जा रही है जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। बाढ़ एवं अकाल की विभीषिका से आक्रान्त यह जिला मात्र कृषि संसाधनों पर निर्भर है। फलस्वरूप आजीविका के लिए निवासियों का पलायन भी तेजी से हुआ है।

भागलपुर जिले की अवस्थिति

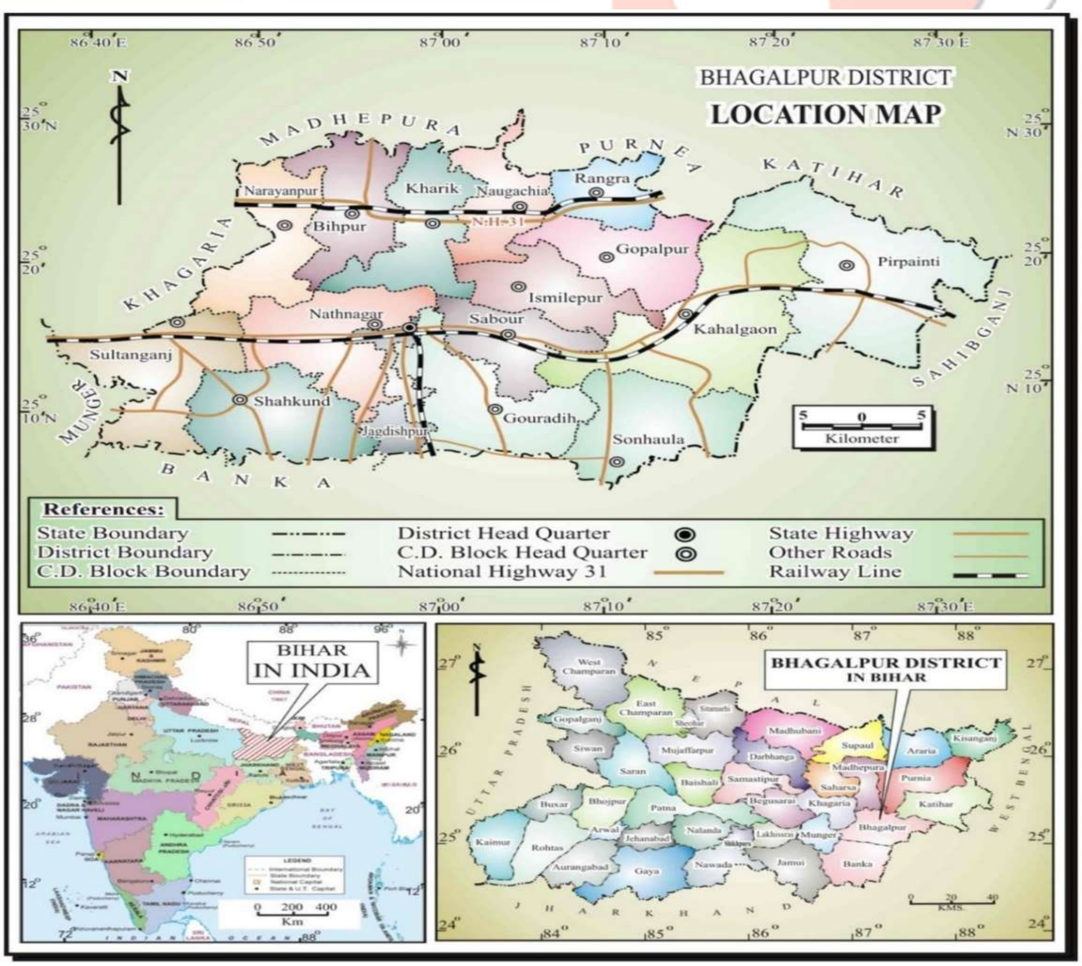

चित्र संख्य : 1.1

1.3 शोध अध्ययन का उद्देश्य :

1. कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति का आंकलन करना।

2. अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास की समस्याओं को ज्ञात करना और प्रतिक्रया आधारित सुझावों को प्रस्तावित करना।

3. क्षेत्र में कृषि विकास की संभावनाओं को ज्ञात करना।

1.4 आँकड़ा स्रोत तथा शोध विधि तंत्र :

प्रस्तुत शोध पत्र व्याख्यात्मक और विश्लेशणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इसके अर्न्तगत पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं का तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में परीक्षण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों काप्रयोग किया गया है। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिये अध्ययन क्षेत्र का भौतिक एवं सांस्कृतिक मानचित्रों व तालिकाओं का प्रयोग किया गया है तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2023, राष्ट्रीय जनगणना 2011 तथा जिला हथकरघा कार्यालय व तहसील और विकासखण्ड कार्यालय से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

1.5 परिणाम एवं परिचर्चा :

अध्ययन क्षेत्र भागलपुर जिले में भूमि उपयोग कृषि उत्पादन, जनसंख्या भार, कृषि की क्षमता एवं पोषण स्तर आदि तत्वों में हुए परिवर्तनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र के सीमित भूमि संसाधन पर दिनों–दिन गति से बढ़ती जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भूमि का अनुचित दोहन बढ़ रहा है तथा क्षेत्र की जनसंख्या का आर्थिक विकास एवं उनकी जीवन स्तर सुधारने के स्थान पर गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस गति से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उस गति से कृषि आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जिले में कृषि के आधुनिकीकरण किए विकास की कल्पना करना एक दिवास्वप्न है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक श्रेयस्कर के सृजन के साथ ही उत्पादों क्षेत्र में एक श्रेयस्कर के सृजन के साथ ही उत्पादों को बाजार प्रदान करना तथा नगरोन्मुख प्रवास की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भागलपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं, यथा–बाढ़, सूखा, जल–जमाव, नदी मार्ग परिवर्तन के रूप में जहाँ एक ओर अनेक प्राकृतिक समस्यायें हैं, वहीं भूमि उपयोग में इस प्रकार परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि कृषि एवं भूमि का अन्य उपयोग सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिये कुछ संस्थागत सुधार, यथा–सड़क, उद्योग धन्धे, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सहकारिता आदि में सुधार आवश्यक है। इन सभी सुधारों के बाद ही चकबन्दी के बाद हुये भूमि उपयोग में परिवर्तनों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जिले की आयोजना को प्राकृतिक आपदा नियन्त्रण, भूमि उपयोग में परिमार्जन, अवस्थापना तत्वों का विकास एवं सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है।

1.6 प्राकृतिक समस्याओं के निवारण हेतु बाढ़ नियंत्रण :

नियोजन के प्रथम चरण में प्राकृतिक आपदाओं पर यथासम्भव नियन्त्रण अति आवश्यक है, क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षेत्र का भूमि उपयोग ही नहीं, बल्कि अन्य अवस्थापना के तत्व एवं संरचनात्मक सुविधाएं भी दुष्प्रभावित होती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के जल जमाव, बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, मृदा अपरदन आदि प्रमुख हैं। इन आपदाओं का सर्वाधिक प्रभाव कृषि कार्य पर पड़ता है, जो जिले का प्रमुख आर्थिक आधार है। कभी–कभी तो इनका प्रभाव इतना विस्तृत होता है कि क्षेत्र में विपुल जन–धन की हानि होती है। इन सन्दर्भ में जल–प्रबन्ध, जल–प्रवाह की समुचित व्यवस्था, बाढ़ नियन्त्रण, मृदा उर्वरता नियन्त्रण तथा नदी मार्ग नियन्त्रण को सुनिश्चित करने की योजनाएं बनाना आवश्यक है, जिसके लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं–

1.6.1 जल प्रबन्ध :

भागलपुर जिले में प्रमुख आपदाओं में अति वृष्टि, बाढ एवं सूखा प्रमुख है। अतः इस क्षेत्र की आयोजन के लिये जल निकास एवं जल प्रबन्ध की समुचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है, जिसके लिये अध्ययन क्षेत्र के छिछले तालों को गहरा करके अधिक जल धारणा की क्षमता उत्पन्न करना तथा कृत्रिम तटबन्धों का निर्माण कर जलाशयों के रूप में इन्हें विकसित कर विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिये तैयार करना उपयुक्त है। जिले में कई उल्लेखनीय ताल हैं, जो कुल क्षेत्रफल के 1.01 प्रतिशत भाग पर फैले हैं, इनमें गोराडीह, सुल्तानगंज, शाहकुण्ड, पीरपैंती, कहलगांव, गोपालपुर, नौगछिया एवं नारायणपुर प्रखण्ड में अनेक छोटे–छोटे ताल हैं। इन जलाशयों को और गहरा करके तथा उनके चारों ओर के भागों को ऊँचा करके उनमें एकत्र जल करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ इन जलाशयों में मछली पालने, अधिक वर्षा के जल के संग्रह तथा मनोरंजन आदि की दृष्टि से बहुउद्देशीय बनाया जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भाग गंगा, कोसी, चान्दन, व बडुआ नदी के दोआब में स्थित है। जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका रहती है। बाढ़ नियंत्रण, पर ध्यान जल निकास तथा नदी मार्ग परिवर्तन के नियंत्रण के फलस्वरूप प्राकृतिक विपदाओं से छुटकारा पाने के साथ–साथ भूमि एवं मृदा अपरदन की रोकथाम में सहायता होगी। इसके लिए तटबन्ध निर्माण एवं वनस्पतियों में अभिवृद्धि भी करनी होगी।

1.6.2 भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार :

भूमि उपयोग उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उपज में अधिकाधिक वृद्धि का होना है। इसके लिए कृषि क्षेत्र एवं सकल कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन तथा वैज्ञानिक शस्य चक्र अपनाना है। आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कृषि में विशिष्टीकरण प्राप्त हो सकता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषिगत भूमि अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन औसत उत्पादन कम होने के कारण पोषण स्तर सामान्य से कम है, साथ ही क्षेत्र की जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए और अधिक कृषि उत्पादन के लिए शुद्ध कृषिगत भूमि की अपेक्षा सकल कृषिगत भूमि की वृद्धि अपेक्षित है, जो द्वि–बहुफसलीय भूमि में अभिवृद्धि करके ही सम्भव है। क्षेत्र में रबी एवं खरीफ फसलों के मध्य खेतों का परती रखना एक सामान्य बात है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता है, अतः शुष्क मौसम में सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त क्षेत्र को बहुफसली बनाया जा सकता है

1.6.3 दुग्ध एवं पशुपालन :

अध्ययन क्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन उनकी नस्ल निम्न कोटि की एवं अविकसित है, जिससे दुग्ध उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए इस क्षेत्र में उन्नत नस्ल के पशुओं के अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य–सम्वर्धन, प्रजनन एवं उनकी देख–रेख के लिए सुचारू व्यवस्था आवश्यक है। पशुओं में महामारी (खुरपका, गलाघोंटू) आम बात है, जिसकी रोकथाम एवं उपचार की सुव्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, सम्वर्धन एवं प्रजनन से सम्बन्धित सुविधायें मात्र प्रखण्ड केन्द्रों तक ही सीमित है, जो प्रत्येक गाँव से औसतन 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है, जिसके फलस्वरूप सुदूर ग्रामीण अंचलों के कृषक इनका भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः इन सेवाओं को औसतन प्रत्येक गाँव से 3 से 4 किलोमीटर के अन्दर उपलब्ध होना चाहिए। क्षेत्र में कुक्कुट, बकरी, सुअर पालन निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, इन पशुओं का पालन प्रायः निम्न एवं गरीब वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि अधिकांशतः इनका उपयोग (माँस आदि) सभी जातियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में इनके पालन से आर्थिक प्रगति की जा सकती है। जिले में सुअर एवं कुक्कुट पालन की सर्वाधिक सम्भावनाएं हैं, क्योंकि न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसके लिए उचित प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

1.7 भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान :

भागलपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बाद भी ने यहाँ अवस्थापनात्मक कारकों के समुचित विकास के अभाव के कारण अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए भूमि उपयोग नियोजन में कृषि में न आवश्यक विनियोगों की सम्पूर्ति एवं संरचनात्मक व सुधार की एक समन्वित योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1.7.1 सिंचन प्रणाली :

सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम साधनों द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण कृषि अर्थतंत्र की आधारशिला रही है। यहाँ लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और सकल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में जल संसाधनों का अनुकूलतम विकास और कारगर (सिंचाई के माध्यम से) उपयोग एक अत्यन्त आवश्यक पक्ष है। वर्षा की अपर्याप्तता की स्थिति में फलोत्पादन हेतु खेत में कृत्रिम विधि से जलापूर्ति को सिंचाई कहते हैं। चूँकि भारत में वर्षा के क्षेत्रीय (कहीं अतिवृष्टि तो कही अनावृष्टि) तथा सामयिक (कभी अधिकता कभी अत्यल्प या नगण्य) वितरण में पर्याप्त विषमता मिलती है एवं वर्षा काल में भी अनिश्चितता बनी रहती है, यहाँ सिंचाई वस्तुत एक अनिवार्य व्यवस्था है।

अध्ययन क्षेत्र भागलपुर जिले में कृषि के लिए सिंचाई एक आधारभूत आवश्यकता है। बिना सिंचाई के उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग अलाभकारी होता है। क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत भूमि का मात्र 70 प्रतिशत भाग सिंचित है यही नहीं यहां सिंचन की सुविधा सम्पूर्ण जिले में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः असिंचित क्षेत्र में

गहन बहुफसली भूमि विकसित करना असम्भव है। जिले में यद्यपि निजी नलकूपों की संख्या पर्याप्त है, जो मध्यम व बड़े कृषकों पास सीमित है, नहर से सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण है।

भागलपुर जिले के कृषित भूमि की सिंचाई हेतु साधनों के विभिन्न स्रोतों यथा– नहर, नलकूप, तालाब, कुँआ निजी लघु सिंचाई एवं अन्य का उपयोग किया जाता है। अतः यहाँ प्रमुख साधनों द्वारा कृषित भूमि के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अध्ययन किया गया है।

तालिका – 1.1 : जिले में स्रोतवार सिंचित भूमि, 2013–2023

क्र0 सं0	स्रोत	2013		2023	
		हेक्टेयर में	प्रतिशत में	हेक्टेयर में	प्रतिशत में
1.	नहरे	482.30	1.11	819.20	1.30
2.	नलकूप	18034.92	40.04	26084.42	41.40
3.	तालाब	12364.74	27.45	8498.70	13.49
4.	कुँआ	7453.28	16.55	5443.45	8.64
5.	निजी लघु सिंचाई	3759.87	8.34	17264.66	27.40
6.	अन्य	2934.19	6.51	4892.03	7.77
	कुल	45029.3	100.00	63002.46	100.00

स्रोत : जिला कृषि कार्यालय, भागलपुर, 2023

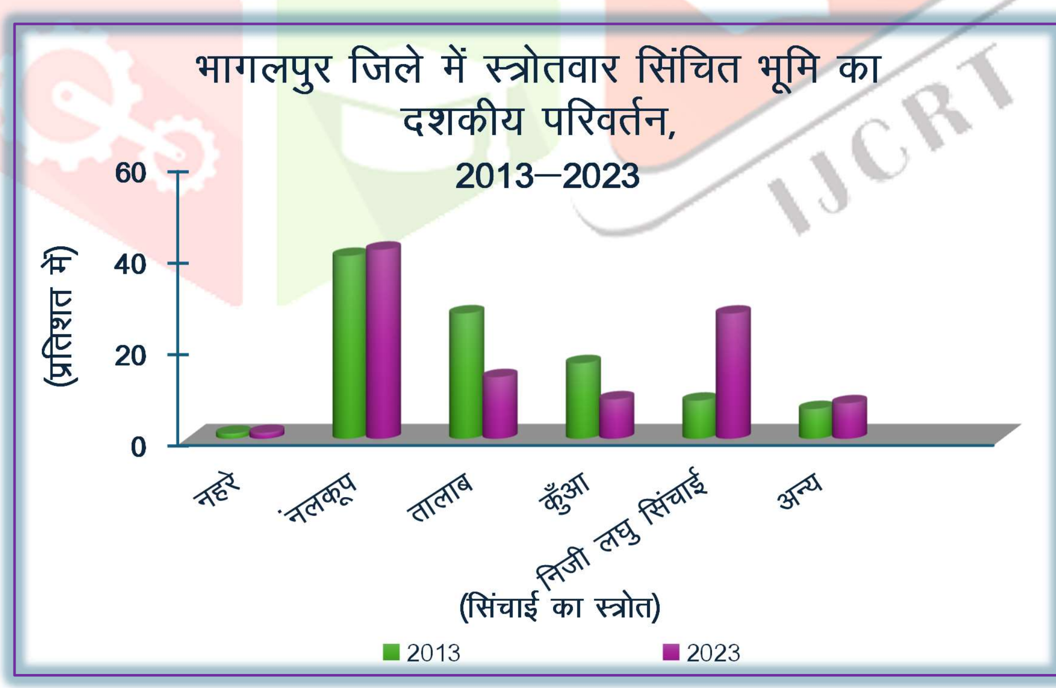

चित्र सं0: 1.2

तालिका संख्या 1.1 एवं चित्र सं0 1.2 से स्पष्ट होता है कि 2023 के अनुसार 42.70 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र नहरों और नलकूप के अंतर्गत है। अतः क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधनों में सर्वोत्तम है।

अतः क्षेत्र में सिंचाई योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। नहरों का विकास करना होगा तथा साथ ही साथ सहकारी समितियों द्वारा किसानों को निजी–नलकूप लगाने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

1.7.2 विद्युतीकरण और शक्ति के साधनों का विकास :

अध्ययन क्षेत्र में नलकूपों, घरेलू कार्यों एवं अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये विद्युत आपूर्ति होने पर भूमि उपयोग एवं आर्थिक विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सकता है। क्षेत्र में 97 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है, तथा शेष ग्रामों का विद्युतीकृत योजना है। यद्यपि विद्युतीकरण की गति तीव्र है, परन्तु कृषि क्षेत्रों में औसतन 10 से 14 घण्टे ही आपूर्ति होती है और वह भी अनियमित समय में। अतः कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित कर नियमित करना परम् आवश्यक है।

1.7.3 कृषि यंत्रीकरण :

अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत पैमान पर उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग नगण्य हैं। यद्यपि चकबन्दी योजना के परिणामस्वरूप जोतों के आकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, परन्तु बड़े जोत वाले कृषक ही ट्रैक्टर, नलकूप, थ्रेसर तथा अन्य लघु कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। यान्त्रिक कृषि पद्धति के विकास में सहकारी सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रखण्ड अथवा सहकारी समिति के माध्यम से बड़े कृषि यंत्रों की सुविधा न्यूनतम किराये पर उपलब्ध होनी चाहिए। आज जिले में कृषक मजदूरों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है, के सन्दर्भ में कृषि यंत्रीकरण वांछित ही नहीं, वरन् एक सामयिक आवश्यकता है।

1.7.4 परिवहन एवं सम्पर्क मार्ग :

अध्ययन क्षेत्र में परिवहन एवं सम्पर्क मार्ग का अभाव है। ये साधन आर्थिक समृद्धि के लिये रक्त संचार की धमनियों के सदृश होते हैं। ग्रामीण सेवा केन्द्र सड़क मार्ग पर स्थित है, इसलिये चकबन्दी के बाद प्रस्तावित सड़कों एवं चकमार्गों की सुव्यवस्थित कर प्रत्येक ग्राम तक पक्की सड़कों की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। क्षेत्र में रेल मार्गों का विकास समुचित है, जो जिले के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

1.7.5 औद्योगिक विकास :

अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों में कतरनी चावल व चूड़ा, दाल, ऑटा, तेल मीलों के अतिरिक्त ग्राम्य स्तर पर दियासलाई, साबुन, मोमबत्ती तथा पशुओं पर आधारित चमड़ा, ऊन, दूध से सम्बन्धित वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योग लगाये जा सकते हैं। साथ ही साथ जिले में मक्का उपज की अत्यधिकता होने के कारण मक्का आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं है। उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर भागलपुर जिले में कृषि विकास की समस्याएं और संभावनाएं निम्नलिखित हैं।

1.8 समस्याएं :

- आधारभूत संरचना का अभाव : सड़कों, बिजली, और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है।
- तकनीकी पिछड़ेपन : आधुनिक तकनीकी साधनों, उन्नत बीजों और पर्याप्त उर्वरकों का कम उपयोग होता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है।
- प्राकृतिक आपदाएं : बाढ़ और सूखाड़ की अत्यधिक आवृत्ति से फसलें बर्बाद होती हैं, और जल निकासी की समस्या गंभीर है।
- सिंचाई की कमी : सिंचाई साधनों का अभाव है, खासकर छोटे किसानों के लिए।
- कृषि आधारित उद्योगों का अभाव : केला, लीची, और आम जैसे उत्पादों पर आधारित उद्योगों की कमी है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और पलायन बढ़ता है।
- पलायन : रोजगार की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी हो रही है।
- वित्तीय समस्याएं : किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति और पूंजी की कमी।

1.9 संभावनाएं :

- उच्च मूल्य फसलें : जर्दालू आम, केला, और लीची जैसे विशिष्ट उत्पादों की बागवानी को बढ़ावा देना।
- कृषि विश्वविद्यालय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सबौर) द्वारा अनुसंधान, किसानों को प्रशिक्षण और समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराना।
- सिंचाई का विस्तार : छोटी–छोटी नहरों और सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई का विस्तार करना, जिससे सस्य गहनता और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- कृषि आधारित उद्योग : फलों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात गतिविधियों में निवेश से ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
- तकनीकी उपयोग : किसानों को उन्नतशील बीज और उर्वरकों के सही उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
- जैविक खेती : जर्दालू आम जैसे उत्पादों की जैविक खेती को बढ़ावा देना।

1.10 निष्कर्ष :

भागलपुर जिले की कृषि व्यवस्था एक जटिल स्थिति में है, जहाँ एक ओर असाधारण संभावनाएं मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर गहरी संरचनात्मक और प्राकृतिक समस्याएं विकास की राह में बड़ी बाधाएं खड़ी करती हैं। यह जिला आधुनिक तकनीकी साधनों जैसे उन्नत बीजों, पर्याप्त उर्वरकों और कृषि मशीनों के उपयोग में काफी पिछड़ा हुआ है। किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति उन्हें इन साधनों को अपनाने से रोकती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम रहता है। केला, लीची और विश्व–प्रसिद्ध जर्दालू आम जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों का प्रसंस्करण और भंडारण न होने के कारण किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वे

अक्सर औने–पौने दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं। इस सब के परिणामस्वरूप, रोजगार की कमी से ग्रामीण युवाओं का पलायन एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी हो रही है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भागलपुर में कृषि विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे जर्दालू आम, केला, और रेशम के उत्पादन के लिए आदर्श है। इन विशिष्ट उत्पादों को 'हब' के रूप में विकसित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाई जा सकती है। जिले में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्याल द्वारा किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, मिट्टी की जांच, और उन्नत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण देने से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संभावना मूल्यवर्धन में निहित है। स्थानीय स्तर पर छोटे खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना से फलों की बर्बादी को रोका जा सकता है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। भागलपुर की कृषि को 'जीवन निर्वाह' के स्तर से निकालकर एक लाभकारी और वाणिज्यिक कृषि मॉडल में बदला जा सकता है

संदर्भ सूची :

1. तिवारी, आर.सी. एवं सिंह, बी.एन. 2018. कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेषन, प्रयागराज, पेज नं. 60–82

2. चौरसिया, महीप, 2018. सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण एवं ग्रामीण विकासः जौनपुर जनपद का एक भौगोलिक अध्ययन, स्वीकृत शोध प्रस्ताव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विष्वविद्यालय, जौनपुर। पे.नं.–6

3. माथुर, बी.एल. 2017. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पेज नं. 205–213

4. मौर्य, एस.डी. 2012. मानव एवं आर्थिक भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, पेज नं. 256–280

5. सिंह, बैजनाथ 2011. सामुदायिक ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली, पेज नं. 89–103

6. कुमार, सुशील 2009. ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय नियोजन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पेज नं. 182–195

7. सिंह, रवीन्द्र, 2009. जौनपुर (जनपद के ग्रामीण विकास में जैव संसाधनों की भूमिका, शोध प्रबंध, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विष्वविद्यालय, जौनपुर पेज नं. 105–121

8. त्रिपाठी राजपूत 2007. कृषक दूत, धान की उन्नत खेती, इंदिरा गांधी कृषि वि. वि., रायपुर.

9. कुमार, रतन 1999. भूमि उपयोग परिवर्तन एवं नवाचार, शोध प्रबन्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विष्वविद्यालय, जौनपुर पेज नं. 60–72